इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 सितम्बर 2013—आश्विन 5, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-885-आयएएस-लीव-5-एक.—श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बालाघाट को दिनांक 11 से 19 जुलाई 2013 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाशकाल में श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010) को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरुण राठी, भाप्रसे (2010) अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. ई-5-747-आयएएस-लीव-5-एक.—श्रीमती वीणा घाणेकर, आयएएस, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को दिनांक 11 सितम्बर से 15 अक्टूबर 2013 तक, पैंतीस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 16 अक्टूबर 2013 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीणा घाणेकर को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम तथा पदेन सचिव, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती वीणा घाणेकर को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीणा घाणेकर अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ-1(ए)59-03-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, छतरपुर रेंज छतरपुर को दिनांक 22 से 27 जुलाई 2013 तक, छः दिवस का अर्जित अवकाश, 20, 21 एवं 28 जुलाई 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2) उपरोक्तानुसार स्वीकृत अर्जित अवकाश का उपभोग श्री विजय सूर्यवंशी, भापुसे, द्वारा न किये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इन्द्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ 10-28-2010-तेईस-योआसां.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) तथा संशोधित अध्यादेश की धारा 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों के तहत् नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अशासकीय सदस्यों को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट जिले की जिला योजना समिति में तत्काल प्रभाव से आगामी दो वर्ष की कालावधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाता है:—

क्र. (1)	अशासकीय सदस्य का नाम (2)	जिला योजना समिति (3)
1	श्री सतानन्द गौतम	पन्ना

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. के. सिद्धार्थ, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013

क्र. 2133-6-15-पच्चास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का सं. 56) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

अनुसूची

क्र. (1)	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय (2)	जिलों के नाम (3)	प्रधान मजिस्ट्रेट के नाम एवं पदनाम (4)
1	सिंगरौली	सिंगरौली	श्री के. डी. महार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिंगरौली.
2	रीवा	रीवा	श्री विवेक पटेल, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी, रीवा.
3	देवास	देवास	श्री सचिन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवास.
4	शाजापुर	शाजापुर	श्रीमती मनीषा बसेर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर.
5	रतलाम	रतलाम	श्री सुरेश चंद्र पाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रतलाम.

No. 2133-6-15-50-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No.(4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Boards as specified in the column (2) of

the schedule below for the Districts as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Boards under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the Disctricts	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Singrauli (Waidhan)	Singrauli (Waidhan)	Shri K. D. Mahar, Chief Judicial Magistrate, Singrauli.
2	Rewa	Rewa	Shri Vivek Patel, Judicial Magistrate, First Class, Rewa.
3	Dewas	Dewas	Shri Sachindra Shrivastava, Chief Judicial Magistrate, Dewas.
4	Shajapur	Shajapur	Smt. Manisha Baser, Chief Judicial Magistrate, Shajapur.
5	Ratlam	Ratlam	Shri Suresh Chandra Pal, Chief Judicial Magistrate, Ratlam.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013

फा. क्र. 1(सी)-21-2013-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो)-2013.—राज्य शासन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री राजीव सिंह ठाकुर, अधिवक्ता को जिला दमोह में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. यह नियुक्ति बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है. किसी भी स्थिति में 62 वर्ष की आयु के पश्चात् वे उक्त पद पर कार्य करने हेतु अर्ह नहीं होंगे.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)एट्रोसिटी-21-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 64-मुख्य शीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2013

फा. क्र. 4-ए-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3) के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल के स्थान पर तथा श्री अनुपम श्रीवास्तव, चतुर्थ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़ के स्थान पर आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक नियुक्त करता है.

उच्च न्यायिक अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 (3) के अंतर्गत होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. डी-15-08-2009-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-08-2009-चौदह-3, दिनांक 2 मार्च, 2009 में, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की "शर्त क्रमांक (8)" के स्थान पर संशोधित कर प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात्:—

"शर्त क्रमांक (8)-अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के

अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में स्थापित की गई रोलर फ्लोर मिल को पहली बार कच्चे माल क्रय करने के दिनांक से या इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से, जो भी पहले हो, निर्धारित अधिकतम 3 वर्ष तक की कालावधि के लिये शर्त क्रमांक (9) में यथा उल्लेखित उनमें जो भी पूर्वतर हो, मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी."

यह अधिसूचना मूल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 2 मार्च 2009 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. डी-15-08-2009-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 19 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 19th September 2013

No. D-15-08-2009-XIV-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), State Government, as provided this department's notification No. D-15-08-2009-XIV-3 dated 2nd March 2009, hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely:—

In the said notification "Condition Number-(8) are rescinded and shall be substituted by the following, that is;

"**Condition Number-(8)**-Subject to sub-section (2) of Section 69 of the Act, the roller flour mills established in market area shall be entitled for exemption from market fee from the date of first purchase of raw material and or date of commencing of commercial production, which ever is earlier, for a stipulated period of three years subject to the capping as per conditions of clause number 09 here in below."

This notification shall come into force w.e.f. 02 March, 2009 i.e. the date of its publication of the main notification in the state gazette.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
R. K. TRIPATHI, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग
"निर्वाचन भवन"
58, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश 462 011

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-54-10-तीन-1014.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पालिका परिषद् नीमच, जिला नीमच** के आम निर्वाचन में **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् दिनांक 14 जनवरी 2010 तक, **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच के

पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, नीमच के पत्र दिनांक 22 जनवरी 2010 द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में सुश्री जयश्री विनोद शर्मा से सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर उत्तर (लिखित अभ्यावेदन) चाहा गया था. सूचना पत्र में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 10 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 25 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. अभ्यर्थी **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** ने सूचना पत्र के जवाब में अपना अभ्यावेदन आयोग को प्रस्तुत किया. आयोग के पत्र दिनांक 6 अप्रैल 2010 द्वारा उक्त अभ्यावेदन में उल्लेखित तथ्यों की स्वीकार्यता/विश्वसनीयता के संबंध में कलेक्टर नीमच से उनका अभिमत चाहा गया. संयुक्त कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला नीमच से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 5 जुलाई 2013 में प्रतिवेदित किया है कि—"**श्रीमती जयश्री विनोद शर्मा** द्वारा प्रस्तुत जवाब में व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने का कारण उनके जेठ श्री विष्णुकुमार जी के पुत्र श्री आशीष कुमार के विवाह कार्यक्रम की तैयारियां एवं उसी दौरान स्वास्थ्य खराब होना बताया गया. किन्तु प्रार्थीया द्वारा विवाह के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं. इस प्रकार प्रार्थीया के अस्वस्थ होने के संबंध में भी कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं. इस उपरान्त भी प्रार्थीया को तीन बार व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये. किन्तु प्रार्थीया **श्रीमती जयश्री विनोद शर्मा** द्वारा प्रतिवेदन दिनांक 5 जुलाई 2013 तक व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया है." कार्यालय कलेक्टर द्वारा श्रीमती जयश्री विनोद शर्मा के विरुद्ध मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32(ग) के तहत् कार्यवाही किये जाने संबंधी अपना अभिमत प्रेषित किया गया.

आयोग द्वारा विचारोपरान्त दिनांक 13 अगस्त 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया, किन्तु अभ्यर्थी **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** कार्यालय में उपस्थित नहीं हुई जबकि अभ्यर्थी **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना पत्र की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 8 अगस्त 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री जयश्री विनोद शर्मा** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगरपालिका परिषद्, नीमच, जिला नीमच** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. एफ. 67-192-10-तीन-1016.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर पंचायत, देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना** के आम निर्वाचन में **श्री अशोक कुमार अग्रवाल,** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. **नगर पंचायत, देवेन्द्रनगर,**

जिला पन्ना के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पत्र क्र. 701/स्था.निर्वा./10 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **श्री अशोक कुमार अग्रवाल** द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **श्री अशोक कुमार अग्रवाल** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 12 मई 2010 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना ने उनके पत्र दिनांक 30 सितम्बर 2011 में कारण बताओ नोटिस उपलब्ध नहीं होने के कारण नोटिसों की द्वितीय प्रतियां भेजने का अनुरोध किया. अतः आयोग द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2011 को पुनः कारण बताओ नोटिस जारी किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, पन्ना के पत्र दिनांक 10 नवम्बर 2011 के संलग्न प्राप्त कारण बताओ सूचना पत्र में अंकित किया गया कि "अशोक कुमार ग्राम देवेन्द्रनगर में नहीं रहते है. पता नहीं बाहर रहने लगे हैं. कोई पता नहीं है". अतः आयोग ने कलेक्टर पन्ना को निर्देशित किया कि वे अभ्यर्थी को जारी कारण बताओं सूचना का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में करवाएं. कलेक्टर पन्ना द्वारा समाचार पत्र दैनिक भास्कर, सतना से प्रकाशित अंक दिनांक 5 फरवरी 2013 के पृष्ठ क्रमांक 09 पर कारण बताओ सूचना प्रकाशित करवाकर कारण बताओं सूचना पत्र की तामीली करवाई.

कारण बताओ सूचना पत्र में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अंदर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है. उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री अशोक कुमार अग्रवाल को नोटिस दिनांक 5 फरवरी 2013 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 20 फरवरी 2013 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. तामीली पश्चात् की जानकारी चाहे जाने पर कलेक्टर पन्ना ने अपने पत्र दिनांक 25 जून 2013 में लेख किया कि "अभ्यर्थी अशोक कुमार अग्रवाल द्वारा कारण बताओ नोटिस का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित अंक दिनांक 5 फरवरी 2013 के बाद अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है."

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री अशोक कुमार अग्रवाल** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर पंचायत, देवेन्द्रनगर, जिला पन्ना** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी), पूर्व निमाड़ खण्डवा, मध्यप्रदेश

खण्डवा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

क्र. 28-स्था.नि.शा.-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) के अन्तर्गत खण्डवा जिले की कृषि उपज मंडी समिति-74, खण्डवा, मंडी समिति 75 हरसूद एवं मण्डी समिति 76 पंधाना के लिये नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है :—

01 मंडी समिति-74 खण्डवा

क्र	नाम निर्दिष्ट सदस्य का नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)
1	श्री शशि कपूर आत्मज श्री अमरनाथ कपूर अटूट खास, विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 175 मांधाता	मंडी अधिनियम की धारा -11 (घ)
2	श्री रामचन्द्र आत्मज श्री दशरथ मौर्य, खण्डवा विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 177 खण्डवा.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (घ)

(1)	(2)	(3)
3	श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री शेरसिंह तंवर नावली विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 178 पंधाना.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (घ)
4	श्री कैलाशचंद सखाराम पाटीदार, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या, खण्डवा.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (ज)
5	श्री माणिकराव महिपतराव आव्हाड़, खण्डवा प्रतिनिधि तहसील सहकारी कृषि प्रक्रिया एवं विपणन संघ मर्या., खण्डवा.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (ड)
6	श्रीमती फूंदाबाई ताराचंद पटेल, निवासी सुलगांव प्रतिनिधि जिला पंचायत, खण्डवा.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (ञ)
7	उप संचालक, कृषि, खण्डवा	मंडी अधिनियम की धारा -11 (च)
02 मंडी समिति-75 हरसूद		
1	श्री रमाशंकर पिता श्री चेतराम, निवासी-सोनखेड़ी विधायक प्रतिनिधि, विधानसभा क्षेत्र 176 हरसूद.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (घ)
2	श्री रमेशचन्द्र पिता श्री तुलसीराम, निवासी भंवरली जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक प्रतिनिधि.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (झ)
3	श्रीमती संतोबाई रामप्रसाद कवड़े, निवासी दिदम्दा प्रतिनिधि जिला पंचायत खण्डवा.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (ञ)
4	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, हरसूद	मंडी अधिनियम की धारा -11 (च)
03 मंडी समिति-76 पंधाना		
1	श्री अनिल लक्ष्मण चौधरी निवासी बोरगांव बुजुर्ग प्रतिनिधि जिला पंचायत खण्डवा.	मंडी अधिनियम की धारा -11 (ञ)
2	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, पंधाना	मंडी अधिनियम की धारा -11 (च)

नीरज दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

बुरहानपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. क-नि.शा.-सा.लि.-2013-35.—क्र-मण्डी निर्वाचन-2013.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) बुरहानपुर, कृषि उपज मण्डी समिति बुरहानपुर के लिये एतद् निम्नानुसार प्रतिनिधि नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

स. क्र.	निर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गिरीश शाह पिता श्री नटवरलाल शाह, निवासी प्रतापपुरा बुरहानपुर.	श्रीमती अर्चना चिटनिस विधायक बुरहानपुर, निवासी बुरहानपुर.	11 (1) (घ)
2	श्री प्रदीप पिता श्री सोपानराव जाधव, निवासी माजरोदकला, जिला बुरहानपुर.	श्री राजेन्द्र दादू, विधायक नेपानगर, निवासी कानापुर.	11 (1) (घ)
3	श्री मोहन पिता पुण्डलिक पाटिल, न्यू इंदिरा कॉलोनी, बुरहानपुर.	जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, खण्डवा.	11 (1) (झ)
4	श्री अरूण पिता साहेबराव पाटिल, मु.पो. अम्बाडा, तहसील नेपानगर.	जिला पंचायत बुरहानपुर	11 (1) (ग)

आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), मण्डला, मध्यप्रदेश

मण्डला दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र.-मंडी निर्वा.-2013-179.—मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा -11(1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम 2010 के अंतर्गत सहकारी विपणन सोसायटी की प्रबंध कारणी समिति, कृषि विभाग का एक अधिकारी जिला केन्द्रीय सहकारी, जिला भूमि विकास बैंक का एक-एक प्रतिनिधि तथा मंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का एक प्रतिनिधि को नामनिर्दिष्ट किया जाना है अत: मंडी अधिनियम, 1972 की धारा - 11 की उपधारा (5) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत मैं, लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर, मण्डला, कृषि उपज मण्डी समिति मण्डला/ नैनपुर/ बिछिया के निम्नांकित प्रतिनिधियों को मण्डी समिति में सदस्यता हेतु नामनिर्दिष्ट करता हूँ :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	सदस्य का विवरण	नाम निर्दिष्ट सदस्य का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मण्डला	विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री कैलाश कुमार रावत	पडाव वार्ड, मण्डला
		सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि	श्री हरि प्रसाद साहू	पडाव वार्ड, मण्डला
		कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री के. एस. नेताम	उप संचालक, कृषि, मण्डला
		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि	श्री संतोष कुमार रजक	ग्राम व तह. निवास, जिला मण्डला
		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री मदन चौरसिया	कटरा रोड मण्डला
		जिला पंचायत का प्रतिनिधि	श्री जोरावर सिंह	महाराजपुर, पौंडी, जिला मण्डला
		लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री मांगन सोनी	ग्राम व पोस्ट नारायणगंज, मण्डला
2	बिछिया	कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री के. सी. कोकडिया	वरि.कृषि वि. अधि. बिछिया
		सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि	श्री महेश विश्वकर्मा	सहकारी विपणन समिति, मण्डला
		विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री तुलाराम साहू	ग्राम भुआ बिछिया, तह. बिछिया
		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री तिहार सिंह	ग्राम मुरता पो. मवई, तह. बिछिया
		जिला पंचायत का प्रतिनिधि	श्री जागेश्वर राजपूत	ग्राम नेवसा बहेरा, तह. बिछिया
		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि	श्री संतोष रजक	ग्राम निवास, तह. निवास
3	नैनपुर	सहकारी विपणन समिति का प्रतिनिधि	श्री मदन गोपाल मरकाम	ग्राम व पो. सालीवाडा, तह. नैनपुर
		कृषि विभाग का प्रतिनिधि	श्री आर. डी . जाटव	वरि.कृषि विस्तार अधिकारी, नैनपुर
		जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक का प्रतिनिधि	श्रीमती संपतिया उइके	ग्राम व पो. टाटरी, तह. नैनपुर
		जिला भूमि विकास बैंक का प्रतिनिधि	श्री जुगल किशोर श्रीधर	ग्राम व पो. पाठासिहोरा, तह. नैनपुर
		विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्रीमती सुनीता मरावी	वार्ड क्र. 14 ग्राम व पोस्ट नैनपुर
		जिला पंचायत का प्रतिनिधि	श्री लालजू मर्सकोले	जनपद सदस्य नैनपुर ग्राम भालीवाडा, मण्डला.

लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम दिनांक 16 सितम्बर 2013

संशोधित अधिसूचना

क्र.-820-मंडी निर्वा.-2013—कृषि उपज मण्डी समिति के सदस्यों का नामनिर्देशन राजपत्र में अधिसूचित किये जाने हेतु मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) के तहत मण्डी अधिनियम की धारा - 11(घ) एक के अन्तर्गत लोक सभा सदस्य प्रतिनिधि का नामनिर्देश, के प्रस्तुत प्राप्त नहीं होने से कार्यालयीन आदेश क्र. 804- मण्डी निर्वाचन - 2013 द्वारा सुश्री मिनाक्षी नटराजन सांसद सदस्य का नामनिर्दिष्ट किया गया था.

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(5) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) कृषि उपज मण्डी समिति 103- जावरा के लिए निम्नानुसार प्रतिनिधि का नामनिर्दिष्ट करता हूं :—

क्र.	मण्डी समिति का नाम	नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि का नाम व पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	103-जावरा	श्री सुजानमलजी कोचट्टा, जावरा	सासंद, लोकसभा सदस्य	धारा-11 (घ)- एक

राजीव दुबे, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश

बड़वानी दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र.-10129-प्रोटोकाल.-2013—पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के ज्ञापन क्र-पुअ-बड-एसी-1-2263-2013 बड़वानी, दिनांक 16 सितम्बर 2013 के अनुसार जिला बड़वानी के थाना राजपुर में नवीन पुलिस चौकी भागसुर में स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. एफ 2 (क) 19-2012-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 08- अगस्त-2013 के द्वारा पदों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के ज्ञाप क्र. एफ-2 (क)15-99-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर-2004 में किये गये प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/ चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अत: ,मैं, श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी, बड़वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नाकित अनुसूची में वर्णित बड़वानी जिलान्तर्गत नवीन पुलिस चौकी भागसुर के गठन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूं :—

क्र.	ग्रामों का नाम	वर्तमान थाने का नाम	जनसंख्या	प्रस्तावित चौकी से दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	भागसुर	राजपुर	1751	00 कि. मी.
2	कासेल	राजपुर	1776	04 कि. मी.
3	साली	राजपुर	1789	10 कि.मी.
4	भामी	राजपुर	1772	09 कि.मी.
5	राईपुरा (रानीपुरा)	राजपुर	823	09 कि.मी.
6	मोरानी	राजपुर	2606	05 कि.मी.
7	बुदरा	राजपुर	653	03 कि.मी.
8	सिनगुन	राजपुर	1633	05 कि.मी.
9	लाछी	राजपुर	698	06 कि.मी.

पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के ज्ञापन क्र-पुअ-बड़-एसी-1-4201-2012 बड़वानी, दिनांक 19 दिसम्बर 2013 के अनुसार जिला बड़वानी के थाना नागलवाड़ी में नवीन पुलिस चौकी बालसमुद में स्थापित करने हेतु मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्र. 4491-703-2012-बी-1-दो, भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के द्वारा पदों की स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन के ज्ञाप क्र. एफ-2 (क)15-99-बी-3-दो भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर-2004 में किये गये प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/ परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अत:, मैं, श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी, बड़वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित बड़वानी जिलान्तर्गत नवीन पुलिस चौकी बालसमुद के गठन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूं :—

क्र.	ग्रामों का नाम	वर्तमान थाने का नाम	जनसंख्या	प्रस्तावित चौकी से दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बालसमुद	नागलवाड़ी	1503	00 कि. मी.
2	मंडवाड़ी	नागलवाड़ी	758	06 कि. मी.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	टेमला	नागलवाड़ी	871	05 कि. मी.
4	मातमुर	नागलवाड़ी	701	04 कि. मी.
5	पानवा	नागलवाड़ी	1436	05 कि. मी.
6	नांदेड़	नागलवाड़ी	999	08 कि. मी.
7	सालीकला	नागलवाड़ी	1517	05 कि. मी.
8	बघाड़	नागलवाड़ी	1709	09 कि. मी.
9	सालीटांड़ा	नागलवाड़ी	435	09 कि. मी.

पुलिस अधीक्षक, बड़वानी के ज्ञापन क्र-पुअ-बड़-एसी-1-2194-2013 बड़वानी, दिनांक 13 सितम्बर 2013 के अनुसार जिला बड़वानी के थाना पाटी में नवीन पुलिस चौकी बोकराटा की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, भोपाल के ज्ञाप क्र. एफ-2 (क)40-2010-बी-3-दो भोपाल दिनांक 4 जून 2012 द्वारा प्राप्त हुई है. एवं शासन के ज्ञाप क्र. एफ-2(क)15-99-बी-3-दो, भोपाल, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 के प्रावधानुसार जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं का अधिकार/परिसीमन निर्धारण करने के अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं.

अतः, मैं, श्रीमन् शुक्ला, जिला दण्डाधिकारी, बड़वानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973-1974 का सं. 2 की धारा 2 के खण्ड एस द्वारा प्रदत्त शक्तियों को अमल में लाते हुए निम्नांकित अनुसूची में वर्णित बड़वानी जिलान्तर्गत नवीन पुलिस चौकी बोकराटा के गठन संबंधी प्रस्ताव की अधिसूचना जारी करता हूं :—

स. क्र.	ग्रामों का नाम	वर्तमान थाने का नाम	जनसंख्या	प्रस्तावित चौकी से दूरी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	बोकराटा	पाटी	3061	00 कि. मी.
2	कालाखेत	पाटी	1451	09 कि. मी.
3	टापर	पाटी	619	05 कि. मी.
4	मतरकुण्ड	पाटी	598	05 कि. मी.
5	चौकी	पाटी	1876	06 कि. मी.
6	पिपरकुण्ड	पाटी	1709	08 कि. मी.
7	उबादगढ़	पाटी	2975	10 कि. मी.
8	गोलपाटीवाड़ी	पाटी	1679	12 कि. मी.
9	गारा	पाटी	618	14 कि. मी.
10	रोसमाल	पाटी	617	15 कि. मी.
11	कुम्भखेत	पाटी	1612	12 कि. मी.
12	बोरकुण्ड	पाटी	853	17 कि. मी.
13	भैसारी	पाटी	636	15 कि. मी.
14.	वन	पाटी	1292	10 कि. मी.
15	झरार	पाटी	660	05 कि. मी.
16	देवगढ़	पाटी	1540	07 कि. मी.
17	चिचवानिया	पाटी	788	08 कि. मी.
18	मोरानी	पाटी	596	11 कि. मी.
19	रामगढ़	पाटी	307	15 कि. मी.
20	शिवनी भूरवानी	पाटी	1486	09 कि. मी.
21	सिंधवानी	पाटी	305	10 कि. मी.
22	आमली	पाटी	535	05 कि. मी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्रीमन् शुक्ला, उपसचिव.

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी, जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. एस. डब्ल्यू-नौ-20185-2013.—जिला गुना के थाना चांचौडा अन्तर्गत नवीन पुलिस चौकी राज्य शासन द्वारा स्वीकृत किये जाने से निम्नलिखित ग्राम नवीन पुलिस चौकी के हिस्से में एतद्द्वारा सम्मिलित किये जाते हैं :—

क्र.	पुलिस थाने का नाम (तहसील व जिला) जिसे अपवर्जित किया गया.	ग्राम के नाम/शहर का सम्मिलित हिस्सा	नवीन पुलिस चौकी का नाम जिसमें सम्मिलित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नवीन पुलिस चौकी बीनागंज, थाना चांचौडा, तहसील चांचौडा, जिला गुना.	**ग्राम/मोहल्ले का नाम** बीनागंज, जयसिंहपुरा, खातौली, टोडी, सागर, साबलपुरा, पैंची, कोटरा, हरिपुरा, परेवा, सुन्दरपुरा, अरन्या, गादेर, किशोरा, गेंहूखेड़ी, चकलहरचा, मालौनी, आशाखेड़ी, पीपलया वागड़ी, बमौरी, लखनवास,रतोधना, चौपनकला, ककरउआ, पाटोंदी, चौपनाखुर्द, घाटाखेड़ी, अमरपुरा, बड़हपुरा, कोलुआ, शीलाखेड़ी, नवलपुरा, चीतोड़ा, देवापुरा, रमेती, वापचा हलरिया, रामसिहंकापुरा, नयादरी, नलखेड़ा, बरखेड़ा, कालापहाड़, जामोरिया, सोका, रानीखेजड़ा, हरदौलखेड़ी, सैजनया, मेसरौली, रायपुरया, वापचा विक्रम, हिगौनी, भूराखेड़ी, वीवाखेड़ी, बड़खुआ, देहरी, कोन्याकला, चौपनी, कोदयपुरा, बाबाखेजड़ा, लहरचा, कीताखेड़ी, पुरानीगंज, भानपुरा बाबा, भानपुरा मीना, भानपुरा कंजर,लाछौनी, भेंसुआ डवरया, मेरियाखेड़ी मीना, नारायणपुरा, जटेरी, डोकरयाखेड़ी, बरोदिया, कनकानेहरू, ऊदाखेड़ी, पाखरियापुरा, बोरक्ष, चकहरिया, रामपुरा, पीपलिया, (कोटरा) रामटेरी, लाखौरी, अजगरी, जोगीपुरा, बरखेड़ी माफी, अजगरा.	नवीन पुलिस चौकी बीनागंज, थाना चांचौड़ा, तहसील चांचौडा, जिला गुना.

नव सृजित नवीन पुलिस चौकी बीनागंज के उपरोक्तानुसार कालम नं. (3) में वर्णित कुल 84 ग्राम नवीन पुलिस चौकी बीनागंज में एतद्द्वारा सम्मिलित किये गये हैं तथा उक्त सूची पुलिस विनियम के भाग क के विनियम 575 में प्रावधानित अनुसार पुलिस अधीक्षक, गुना के कार्यालय में रखी गई है.

उक्त नव सृजित नवीन पुलिस चौकी बीनागंज के अस्तित्व में आने से थाना चांचोड़ा के संचालन एवं संपादन एवं कार्य तथा प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों का विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत विहित उद्धेश्यों हेतु कार्य प्रारम्भ करने हेतु एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है.

संदीप यादव, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. सां-ले.-2013-10268.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2, सन् 1974) की धारा 2 के खण्ड (घ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को प्रस्तावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना में आंशिक अपांतरण करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से :—

1. कालम नं. (3) में वर्णित स्थानीय क्षेत्रों को उस थाने से जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये हैं से अपवर्जित करती, और

2. नवीन पुलिस चौकी सिरवेल, थाना क्षेत्र भगवानपुरा जो कि जिला खरगोन की तहसील भगवानपुरा में है को पुलिस चौकी घोषित करती है और यह निर्देश देती है कि इसमें उक्त सारणी के कॉलम नं. (3) विनिर्दिष्ट किये गये हैं, स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित होंगे :—

सारणी

स. क्र.	उस पुलिस थाने का नाम तहसील जिला सहित जिसमें से अपवर्जित किया गया है	स्थानीय क्षेत्रों के नाम
(1)	(2)	(3)
1.	पुलिस थाना भगवानपुरा, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन.	1. सिरवेल (महुडियारीफाल्या, तितरबांगली देवासमाल, शुक्ला, बुडिया, कलश, भाभर फल्या, पटेल फल्या). 2. नांदिया 3. कुम्भी, पटेल फल्या 4. कुम्हारबेडी (बुड़की फल्या, भाभरीया फल्या) 5. मालखेड़ा 6. गोन्टिया, (चिरमुंडी फल्या, बालपानी नवाड़) 7. पलासकुट (रायटेमरीफल्या, मुवासमाल) 8. खापरजामली (मुसाफिरी, जामन्यापानी नवाड फल्या). 9. रूपगढ़, दौलतपुरा फल्या, खुखरी अम्बा 10. हाथिवुड़िया, झापडीमली, मेन्द्रानिया फल्या, करणडाबरा. 11. सातपाटी, ढोलगानवाड़ा, तोरणी अम्बा 12. उमरिया, काछलाफल्या, चिसपाटी, गुलरीयापानी 13. अम्बा, हवलदारीया फल्या, नवाड फल्या.
2	पुलिस थाना चैनपुर, तहसील झिरन्या जिला खरगोन.	14. रायसागर, (लावरिया फल्या, बडवा फल्या, अम्बा फल्या, गवली फल्या). 15. धूपा, साततली फल्या, हरणकुण्डिया फल्या 16. टांडावाड़ी, रायलबेडा (कोठबेडा) बाबलगढ़ 17. पीडीजामली 18. सेन्द्रीया घाटी 19. माझल.

No. 10268-S.W.-2013.—In exercise of the powers conferred by clause (s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and in partial modification of the previous notification affecting the local areas specified in the Table below, The State Government, hereby, with effect from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh, Gazette" :—

(i) Exclude Local Area from the Police Station mentioned in column (2) of the Table below, the local areas specified in the column (3) thereof, and

(ii) Declares New Police Chouki Sirvel, Police Station Bhagawanpura in Tehsil of Bhagawanpura District Khargone and further directs that it shall include the local areas specified in column (3) of the said Table:—

TABLE

S.No.	Name of Police Station (with Tahsil and Distt.) from which excluded	Local Areas Name of Village
(1)	(2)	(3)
1.	Thana Bhagwanpura, Tehsil Bhagawanpura District Khargone.	1. Sirvel (Mahudiyarifalya, Titarbangli, Dewasmal, Shukla, Budiya, Kalash, Bhabhar Falya, Patel Falya). 2. Nandiya 3. Kumbhi, Patel Falya 4. Kumharbedi (Budki Falya, Bhabhariya Falya. 5. Malkheda 6. Gontiya (Chirmundi Falya, Balpani Nawad) 7. Palaskut (Raitemri Falya, Muwasmal) 8. Khaparjamli (Musafiri, Jamnyapani, Nawad Falya). 9. Rupgadh, Daulatpura Falya, Khukhari amba 10. Hathibudiya, Zapadimali, Mendraniya Falya, Karandabra. 11. Saatpati, Dholaganawada, Torani Amba 12. Umariya, Kachhalafalya, Chispati, Gulriyapani. 13. Amba, Hawaldariya Falya, Nawad Falya.
2.	Thana Chainpur, Tehsil Zirniya, District Khargone.	14. Raisagar, (Lawariya Falya, Badwa Falya, Amba Falya, Gawali Falya. 15. Dhupa, Saat Tali Falya, Harankundiya Falya 16. Tandawadi, Rayalbeda (Khothbeda), Babalgadh. 17. Pidijamli 18. Sendriya Ghati 19. Mazal.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर/उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 4 सितम्बर 2013

क्र. 235-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हुजूर	द्वारिका नगर (उर्रहट)	0.0032	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा.	द्वारिका नगर के पास (रीवा शहर) झिरिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—द्वारिका नगर के पास (रीवा शहर) झिरिया नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, हुजूर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 236-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सेमरिया	बधरा	0.660	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग रीवा.	बीरखाम बधरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—बीरखाम बधरा मार्ग के कि.मी. 3/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, हुजूर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 सितम्बर 2013

क्र. 815-क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	घाट पिपरिया	0.93	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.	स्टामडेम निर्माण हेतु भूमि अर्जन बाबत्.
		योग . .	0.93		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 817-क-भू.अ.वि.अ.-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	रियाना	6.029	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह.	रियाना जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु भूमि अर्जन बाबत्.
		योग . .	6.029		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

नस्ती क्रमांक 156-2012-एल. ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-1-अ-82-11-12.-**शुद्धि-पत्र.**—जल संसाधन विभाग के अर्दला तालाब सिंचाई योजना के शीर्ष कार्य हेतु ग्राम जामली राजगढ़, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-1-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 की अधिसूचना का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग—1 में दिनांक 18 जनवरी 2013 को, समाचार-पत्र पत्रिका में दिनांक 12 जनवरी 2013 को, अक्षर विश्व में दिनांक 12 जनवरी 2013 को हुआ.

उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावें :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
म. प्र. राजपत्र भाग-1 में दिनांक 18-1-13	6.33 हे.	5.61 हे.
पत्रिका में दिनांक 12-1-13	6.33 हे.	5.61 हे.
अक्षर विश्व में दिनांक 12-1-13	6.33 हे.	5.61 हे.

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 6.33 हे. के स्थान पर कुल रकबा 5.61 हे. होगा.

नस्ती क्रमांक 156-2012-एल. ए.-भू-अर्जन प्र. क्र.-2-अ-82-11-12.-**शुद्धि-पत्र**.—जल संसाधन के अर्दला तालाब सिंचाई योजना के अन्तर्गत शीर्ष कार्य हेतु ग्राम जामली राजगढ़, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा के भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-2-अ-82-11-12 में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 की उद्घोषणा का प्रकाशन म. प्र. राजपत्र भाग—1 में दिनांक 12 अप्रैल 2013 को, समाचार-पत्र स्वदेश में दिनांक 18 अप्रैल 2013 को, राज एक्सप्रेस में दिनांक 18 अप्रैल 2013 को हुआ.

उक्त उद्घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे:—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि		सही संशोधित प्रविष्टि	
	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में.)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में.)
राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12-04-13	248	3.96	248	0.96
स्वदेश में दिनांक 18-04-13	248	3.96	248	0.96
राज एक्सप्रेस में दिनांक 18-04-13	248	3.96	248	0.96

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में कुल अर्जनीय रकबा 5.61 हे. यथावत् होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 10 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 01-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दतिया	इंदरगढ़	विनौरी	0.60	कार्यपालन यंत्री, राजघाट डिस्ट्रीब्यूटरी संभाग क्र. 9, दतिया (म. प्र.).	श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना के नहर निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सेंवढ़ा में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 23-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	रेखा	1.16	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की मुख्य नहर की रेखा डिस्ट्रीब्यूटरी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 24-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	बगमऊ	1.12	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की देवीखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	देवीखेड़ा	0.865	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना के अंतर्गत मुख्य नहर की देवीखेड़ा डिस्ट्रीब्यूटरी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 26-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	पट्टी	1.00	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 27-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	अकटौंहा	2.00	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की मुख्य नहर एवं रेखा तथा सिंगपुरवा डिस्ट्री-ब्यूटरी.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 28-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	गिरधौरी	1.50	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 29-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौड़ी)	पीरा	1.50	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 30-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में) निजी भूमि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	लवकुशनगर (लौंड़ी)	हंसपुरा	1.50	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर (लौड़ी).	सिंहपुर बैराज परियोजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की नहर के निर्माण हेतु. भूमि का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8439-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	झाड़मउ	56.957	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजगढ़.	श्यामपुरा तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	56.957		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10-अ-82-12-13-सा-1-सात.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (5)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन (6)
जिला (1)	तहसील/तालुका (2)	नगर/ग्राम (3)	लगभग क्षेत्रफल (4)			
			खसरा नं.	रकबा (हे. में.)		
भोपाल	हुजूर	बंगरसिया	109/1	0.240	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल.	औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा, तहसील हुजूर, जिला भोपाल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बंगरसियां की निजी.
			107/1	0.150		
			102	0.080		
			103/1	0.320		
			101	0.020		
			100	0.080		
			94/1	0.350		
			98	0.100		
			94/2/1	0.300		
			94/2/3 94/2/2 1 94/2/2/5 94/2/2/8	0.020		
			योग . .	1.660		

नोट:—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील (हुजूर) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवडे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 4723-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता

है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	ब्यौहारी	बनासी	11.774	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल म. प्र.	बनासी जलाशय निर्माण एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी ब्यौहारी/तहसीलदार ब्यौहारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 4724-दस-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शहडोल	जयसिंहनगर	रेउसा	3.256	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, शहडोल (म. प्र.).	बनासी जलाशय के निर्माण एवं नहर से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर/तहसील जयसिंहनगर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 28 अगस्त 2013

प्र. क्र. 11-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—विदिशा
(ग) ग्राम—धमनोदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.839 हेक्टेयर.

सर्वे नम्बर (1)	लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (2)
418/2, 543/1, 543/2, 543/3	0.101
414/1/1, 414/1/2, 414/2/1, 414/2/2	0.090
413/2/1, 413/2/1/2	0.036
376/2	0.036
380/1, 380/2	0.095
377/2	0.018
526/2	0.060
526/3	0.095
527	0.005
533/1	0.205
533/2	0.040
538/4/3	0.010
538/1/3	0.090
538/2	0.018
538/1/1	0.090
538/3/1	0.054
541/1, 541/2	0.083
540/1	0.085
540/2/1, 540/2/2	0.108
626/1/2	0.043
627/1, 627/2	0.090
629/3, 630/1, 630/3/1, 630/3/2, 787/3/3, 787/3/2	0.387
630/2/1	0.010
631/1, 631/2, 631/3, 631/4	0.350
639/1, 639/2, 639/3	0.054
653/1, 653/2, 653/3	0.126
658	0.180
659/1	0.075
659/2/2	0.076
664/1/1, 664/1/2	0.075
787/1	0.054
योग . .	2.839

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बर्रों सिंचाई योजना के अंतर्गत आर. एम. 1,2,3.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का उपखण्ड अधिकारी विदिशा के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 सितम्बर 2013

पत्र क्र. क-भू-अर्जन-तेन्दूखेड़ा-2013-816.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दमोह
(ख) तहसील—तेन्दूखेड़ा

(ग) नगर/ग्राम—अमवाही, बादीपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.39 हेक्टर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
ग्राम—अमवाही	
34/1	0.95
34/2	1.43
41/5	0.12
34/3	0.10
34/4	0.35
35/2	0.26
36/1	3.14
38/2	0.55
36/2	3.32
37	0.57
39	0.90
40	0.82
41/8	0.55
योग . .	13.06
ग्राम—बादीपुरा	
7	0.13
13	0.70
8	0.14
12/1	0.11
10	0.38
12/2	0.24
14	0.43
20/2	0.40
15	0.30
17	0.85
22	1.53
19	0.55
20/1	0.20
21	0.81
121	1.43
123/1	0.40
123/2	0.40
123/3	0.39
123/4	0.13
123/5	0.13
123/6	0.13
124	1.83
125	0.83
126	1.83
127	2.10
128	1.96
योग . .	18.33
महायोग . .	31.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—अमवाही जलाशय के बांध, डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, तेन्दूखेड़ा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह, जिला-दमोह के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खंडवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 9 सितम्बर 2013

नस्ती क्र. 2013-एल. ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-08-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा

(ख) तहसील—पुनासा

(ग) ग्राम—कोठी

(घ) अर्जित रकबा—0.01 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
272	0.01
योग. .	0.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मोटटक्का, ओंकारेश्वर मार्ग के कि.मी. 9/2 में पुल चौड़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 2013-एल. ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—खण्डवा
(ग) ग्राम—धनगांव
(घ) अर्जित रकबा—0.03 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
798	0.03
	योग. 0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—निमाडखेड़ी मार्ग के. कि.मी. 3/6 सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

नस्ती क्र. 310-2013-एल. ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र.-10-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—खेड़ी बुजुर्ग
(घ) अर्जित रकबा—0.26 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
340	0.10
341	0.03
324/1	0.11
256/3	0.02
	योग. 0.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—निमाड खेड़ी मार्ग के. कि.मी. 3/6 सतसोई नदी व बाकुर नदी पर पुल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डवा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—इंदरगढ़

(ग) ग्राम—पहाड़ी श्याम

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.64 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
57/1, 57/2, 57/3	0.15
61/1, 61/2	0.09
52	0.04
62	0.01
44	0.10
41	0.05
40	0.05
39	0.05
26	0.12
25	0.08
24	0.09
22	0.05
8	0.15
21	0.16
6	0.14
7	0.01
9	0.02
129/1, 129/2, 129/3	0.10
133	0.18
योग. .	1.64

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 7-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया

(ख) तहसील—इंदरगढ़

(ग) ग्राम—जसवन्तपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.63 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
352	0.01
353	0.04
342	0.01
343	0.10
344	0.06
346	0.16
152	0.06
157/1	0.06
157/2	0.06
161	0.01
160	0.02
162	0.09
166	0.08
169	0.08
170	0.07
249	0.05
251	0.16
242	0.04
240	0.01
241	0.25
239	0.06
238	0.25
149	0.06
151	0.06
206	0.04
214/3	0.06
208,	0.16
205/1, 205/2	0.03
205/3	0.03
215/1	0.04
214/1	0.05
215/2, 215/3	0.08
214/2	0.05
200/1	0.01
200/2	0.03
200/3	0.03
199	0.03
197	0.14
योग. .	2.63

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दतिया, दिनांक 14 सितम्बर 2013

क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—इंदरगढ़
(ग) ग्राम—चकबैना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.30 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
272	0.17
271	0.09
274	0.20
275	0.01
261	0.26
276	0.01
260	0.10
278	0.18
239	0.19
159	0.15
158	0.08
137	0.18
138	0.18
139	0.12
95	0.02
96	0.12
94	0.15
90	0.09
योग. .	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—इंदरगढ़
(ग) ग्राम—बैना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.42 हेक्टेयर.

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
236	0.06
235	0.05
234	0.04
238	0.07
239	0.09
233	0.01
244	0.08
245	0.09
250	0.04
249	0.09
259	0.12
258	0.09
253	0.01
257	0.06
274	0.05
273	0.03
269	0.02
272	0.07
271	0.10

(1)	(2)
294	0.03
295	0.08
287	0.04
288	0.10
योग. .	1.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 6-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—इंदरगढ़
(ग) ग्राम—जोनिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.05 हेक्टेयर

खसरा नंबर (1)	क्षेत्रफल (हे. में) (2)
549	0.07
548	0.12
540	0.07
562	0.10
563	0.01
533	0.01
543	0.04
542/1, 542/2	0.12
534	0.07
530	0.04
531	0.08
528	0.26
527	0.02
514	0.30
506	0.15
484	0.34
142	0.05
137/1	0.16
137/2	0.16
129	0.07
127	0.02
32	0.43
19	0.17
3	0.15
4	0.04
योग. .	3.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्याम पहाड़ी लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सेंवढ़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संकेत भोंडवे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 12219-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—बॉकी बाग

(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.447 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)
159	0.324
160	0.965
163/2	0.168
163/1	1.359
166/1	0.820
166/1/1	0.290
166/1/3	0.185
166/2	0.418
174	0.510
177/1	0.784
177/2	0.474
364/2	0.150
योग. .	6.447

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—कदवाल सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 12224-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार

(ख) तहसील—कुक्षी

(ग) ग्राम—कदवाल

(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.765 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/1	0.150
41/2	0.405
41/3	0.875
41/4	0.442
42	0.063
241	0.261
243	0.366
255/1, 257/1	0.815
257/2	0.765
263,264,266	2.964
262	0.980
271	0.679
योग. .	8.765

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—कदवाल सिंचाई तालाब निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, कुक्षी तथा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मनावर जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8431-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (कुण्डीबे तालाब निर्माण में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—राजगढ़

(ग) ग्राम—कुण्डीवे

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.978 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
डूब क्षेत्र में शेष अर्जित भूमि	
302	0.168
511/2	0.380
511/1/3	1.000
303/2	0.100
303/1	0.200
518/2	0.120
296/529	0.560
306/533	0.450
योग. .	2.978

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—कुण्ड़ीबे तालाब निर्माण में सीमांकन अनुसार शेष एवं मिट्टी खनन के लिए डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 10374-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—देवरी

(ग) ग्राम—डमरावीर, प.ह.नं. 30

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.28 हेक्टर..

खसरा नं. में से (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
136/1 136/2	0.28
योग. .	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है.—सतधारा जलाशय योजना अन्तर्गत नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व देवरी तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधान संभाग क्र. 1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 14-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—देवनगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—4.475 हेक्टर.

खसरा क्रमांक (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
179/2	0.140
183/2	0.120

(1)	(2)
190/1	0.036
190/2	0.024
98	0.089
96	0.175
95	0.206
90	0.167
89	0.163
69/1	0.127
69/2	0.111
65/1/2	0.034
58/1	0.014
58/2	0.199
57/2	0.006
140/1	0.238
140/2/1	0.072
140/2/2	0.072
140/2/3	0.072
145	0.040
146/1	0.065
144/1	0.280
154/1	0.156
154/2/2	0.082
154/2/3	0.082
155/2	0.190
165/2	0.257
74/2/1/1	0.040
177/2घ	0.169
71/2/1	0.166
71/2/2	0.147
71/2/3	0.038
71/2/4	0.038
71/2/5	0.076
141	0.102
142/1	0.200
142/2	0.038
160/2	0.005
178/2ख	0.025
180	0.207
योग. .	4.475

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 15-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

(ख) तहसील—लवकुशनगर

(ग) ग्राम—कटिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.965 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
435/1/3	0.252
441	0.105
443	0.077
445	0.020
448/2	0.096
448/1	0.005
447/2	0.018
452/1	0.260
452/2	0.119
451/2	0.013
योग. .	0.965

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शों (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मसूद अख्तर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 2161-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—गोलहटा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.028 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
128	0.016
223	0.128
214	0.020
213	0.224
212	0.120
404	0.040
405	0.004
33	0.176
30	0.080
31	0.020
63	0.200
योग . .	1.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2163-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—कोटर

(ग) नगर/ग्राम—देवरीवृत्त

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.089 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
484	0.030
304	0.017
291	0.020
292	0.008
176	0.004
435	0.010
योग . .	0.089

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की बेलरी माइनर नहर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2165-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हुजूर

(ग) नगर/ग्राम—सिलपरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.021 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
103	0.021
योग . .	0.021

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना क्योंटी नहर की सिलपरी वितरक की सिलपरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 2167-भू-अर्जन-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

पूरक-अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—सिरमौर

(ग) नगर/ग्राम—सथनी कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.020 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1440	0.020
योग . .	0.020

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना की मनकहरी माइनर के अन्तर्गत आने वाले निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

रीवा, दिनांक 18 सितम्बर 2013

क्र. 2231-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—सिहावल

(ग) ग्राम—पहाड़ी चक तेंदुहा

(घ) लगभग क्षेत्रफल —1.200 हेक्टेयर.

(अ) निजी भूमि का विवरण

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1	0.040
2	0.010
3	0.040
4	0.010
5	0.190
6	0.010
7	0.020
62	0.020
63	0.010
61	0.060
60	0.010
59	0.010
57	0.020
54	0.020
52	0.010
43	0.020
50	0.070
48	0.010
39	0.010
49	0.040
47	0.020
344	0.010
345	0.020
346	0.050
349	0.010
348	0.030
355	0.020
356	0.010
382	0.020
383	0.010
384	0.010
385	0.010
386	0.010
391	0.010
392	0.010
393	0.010
432	0.010

(1)	(2)
433	0.020
503	0.030
504	0.020
505	0.010
506	0.010
507	0.010
513	0.020
519	0.020
518	0.020
528	0.010
529	0.010
530	0.010
541	0.030
542	0.010
539	0.010
537	0.010
536	0.010
535	0.010
482	0.010
483	0.010
469	0.010
योग (अ) . .	1.200

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग (ब)	निरंक
महायोग अ+ब	1.200

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2233-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—तेन्दुहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.600 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
141	0.010
142	0.030
143	0.020
165	0.210
201	0.040
214	0.030
202	0.020
213	0.030
212	0.020
227	0.030
228	0.020
229	0.010
231	0.020
244	0.030
243	0.020
280	0.030
281	0.010
532	0.030
533	0.010
539	0.020
543	0.030
546	0.020
547	0.010
700	0.020
703	0.030
704	0.010
830	0.030

(1)	(2)
826	0.010
827	0.030
847	0.010
848	0.020
849	0.010
859	0.020
825	0.060
909	0.060
908	0.020
910	0.020
911	0.030
919	0.010
920	0.020
926	0.010
925	0.020
922	0.030
924	0.020
982	0.010
983	0.010
1637	0.020
978	0.010
984	0.020
977	0.010
985	0.030
986	0.010
970	0.020
965	0.040
966	0.020
957	0.010
958	0.020
967	0.010
969	0.010
959	0.010
1049	0.030
1050	0.030
1051	0.030
1081	0.010
1082	0.030
1083	0.030
1087	0.040
1085	0.020
1086	0.020
1093	0.020
1092	0.010
1094	0.020
1095	0.020
1096	0.040
1097	0.070
1440	0.020
1450	0.030
1447	0.040
1446	0.020
1445	0.020
1444	0.030
1550	0.010
1552	0.010
1553	0.050
1554	0.040
1555	0.020
1563	0.050
1564	0.030
1565	0.150
1617	0.010
1618	0.060
1640	0.010
1620	0.030
1622	0.080
278	0.020
योग (अ) . .	2.600

(ब) म. प्र. शासन की भूमि का विवरण

योग (ब)	निरंक
महायोग (अ+ब) . .	2.600

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल मुख्य नहर की पहाड़ी माईनर की तेंदुहा सब माईनर के निर्माण में आने वाले ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2235-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—पमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —2.61 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
(अ) निजी भूमि का विवरण	
2107	0.010
2072	0.010
2073	0.010
2074	0.020
2075	0.010
2078	0.020
2070	0.010
2069	0.010
1803	0.03
1804	0.020
1806	0.010
1807	0.010
1808	0.010
1784	0.020
1785	0.010
1786	0.010
1781	0.010
1782	0.020
1779	0.010
1694	0.010
1695	0.010
1696	0.010
1697	0.010
1704	0.010
1705	0.010
(1)	(2)
1706	0.010
1707	0.020
1708	0.010
1712	0.010
1714	0.010
1715	0.010
1716	0.010
1717	0.010
1718	0.010
1585	0.010
1584	0.020
1583	0.010
1576	0.010
1555	0.010
1556	0.02
1557	0.02
1558	0.01
1559	0.01
938	0.01
937	0.010
936	0.010
935	0.010
934	0.010
933	0.010
946	0.010
929	0.020
924	0.010
925	0.010
926	0.01
928	0.010
919	0.010
922	0.010
923	0.010
962	0.010
963	0.010
965	0.020
964	0.020
985	0.020
982	0.010
986	0.020
1006	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
1008	0.010	1150	0.010
1009	0.010	1151	0.020
1015	0.010	1152	0.02
1016	0.010	1153	0.010
1017	0.010	1154	0.010
1018	0.010	1155	0.010
1019	0.010	1157	0.010
1020	0.010	1224	0.020
1021	0.010	1225	0.010
1022	0.010	1226	0.010
1002	0.030	1227	0.020
1043	0.010	1241	0.020
1044	0.020	1242	0.020
1045	0.020	1245	0.020
1046	0.010	1246	0.010
1047	0.010	2503	0.010
1048	0.010	2504	0.010
1052	0.020	2505	0.010
473	0.010	2506	0.010
470	0.020	2497	0.020
471	0.040	2492	0.04
472	0.030	2493	0.05
474	0.010	2542	0.010
479	0.010	2543	0.010
1102	0.04	2544	0.010
1105	0.04	2545	0.020
1107	0.03	2487	0.020
1106	0.02	2488	0.010
1115	0.02	2489	0.010
1116	0.01	2738	0.05
1119	0.02	2761	0.05
1120	0.02	2762	0.030
1118	0.02	2770	0.040
1139	0.04	2776	0.020
1156	0.01	2765	0.020
1137	0.02	2775	0.010
1138	0.02	2771	0.040
1146	0.02	2706	0.060
1147	0.02	2708	0.030
1148	0.02	2680	0.010
1149	0.010	2681	0.040

(1)	(2)
2682	0.010
2684	0.010
2678	0.020
2669	0.030
2671	0.020
योग (अ) . .	2.50

म. प्र. शासन की भूमि

2709	0.03
2677	0.08
योग (ब). .	0.110
महायोग (अ+ब) . .	2.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत, सिंहावल वितरक नहर क्र. 2, की पमरिया माईनर का विस्तार के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित संपम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2237-प्रका.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित संपत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—सिहावल
(ग) ग्राम—नोढिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल —0.87 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)

(अ) निजी भूमि का विवरण

49	0.03
56	0.02
53	0.01
95	0.01
82	0.02
94	0.02
85	0.01
86	0.01
87	0.01
84	0.01
156	0.03
155	0.02
204	0.01
205	0.01
206	0.02
207	0.02
208	0.02
209	0.01
210	0.01
282	0.02
283	0.01
291	0.01
292	0.02
293	0.02
444	0.01
534	0.02
535	0.03
536	0.01
537	0.02
654	0.01
655	0.01
650	0.01
651	0.01
592	0.01
644	0.01
645	0.01
646	0.01
639	0.02
637	0.01
638	0.01

(1)	(2)
636	0.01
634	0.01
635	0.01
633	0.01
632	0.01
631	0.01
629	0.01
628	0.01
630	0.01
623	0.01
625	0.02
627	0.01
868	0.01
869	0.01
865	0.01
866	0.02
873	0.01
874	0.01
933	0.02
योग (अ) . .	0.81
म. प्र. शासन की भूमि	
442	0.01
443	0.03
902	0.02
योग (ब). .	0.06
महायोग (अ+ब) . .	0.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत सिहावल वितरक नहर क्र. 2, की पमरिया माईनर की परिसिधी सबमाइनर के निर्माण में आने वाली ग्रामों की निजी भूमि/शासकीय भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 18 सितम्बर 2013

प्र. क्र.15-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनौर
(ग) ग्राम—आंतरी-III
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.662 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1782/1 मि 2	0.212
1782/3	0.212
1799/1	0.125
1799/3	0.113
योग. .	0.662

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.39-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—डबरा
(ग) ग्राम—कल्याणी-III
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.092 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1 मिन/1	0.092
योग. .	0.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र.40-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—भितरवार
(ग) ग्राम—रिठोदन
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.228 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
251	0.048
297	0.018
योग. .	0.228

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 41-अ-82-12-13-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—चीनोर
(ग) ग्राम—बेरनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.410 हेक्टर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1	0.178
79/1	0.232
योग. .	0.410

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—हरसी उच्चस्तरीय मुख्य नहर की शाखा एवं उपशाखा के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 31 अगस्त 2013

प्रकरण क्रमांक 13-अ-82-वर्ष 12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	रीठी	धनिया प.ह.नं. 24	निजी रकबा 1.71 शासकीय रकबा 0.64 कुल . . 2.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग कटनी.	देवलिया जलाशय योजना नहर निर्माण.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कटनी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 3 सितम्बर 2013

प्रकरण क्रमांक 116-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पन्ना	इटवांकला	निजी 0.162 एवं शासकीय भूमि रकबा 3.932 कुल रकबा . . 4.094	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना.	इटवांकला बाया बघेला घाट महेबा मार्ग निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

पन्ना, दिनांक 11 सितम्बर 2013

प्रकरण क्रमांक 117-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	शाहपुरखुर्द	निजी 77.93 एवं शासकीय भूमि रकबा 58.55 कुल रकबा . . 136.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 120-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	पवई	कुडगवां	निजी 33.62 एवं शासकीय भूमि रकबा 9.75 कुल रकबा . . 43.37	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई.	पटना तालाब योजना अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्रकरण क्रमांक 126-अ-82-वर्ष 2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) छूटे हुए रकवों की (पूरक अवार्ड) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने

(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	शाहनगर	रंगौली	निजी 1.71 एवं शासकीय भूमि रकबा 0.15 कुल रकबा . . 1.86	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पवई.	भर्रा तालाब योजना अन्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 8 सितम्बर 2013

पत्र क्र. 804-भू-अर्जन-पथरिया-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने(5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	पौंड़ी	9.68	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग दमोह (म. प्र.).	भिलौनी जलाशय योजना डूब बांध एवं नहर क्षेत्र हेतु.
		नयागांव	11.46		
		डूंगरूपुरा	0.66		
			कुल . . 21.80		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 2169-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	पुरैनी पैपखार	5.76	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	5.76		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2171-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बारी कला	18.72	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	18.72		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2173-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बराज कोठार	2.88	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग . . 2.88		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2175-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	करसरा कोठार	14.88	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
			योग . . 14.88		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2177-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार

इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बिरहुली कोठार	6.48	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	6.48		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2179-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	बड़ेरा पैपखार	4.80	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	4.80		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2181-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	सकरिया कोठार	8.16	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	8.16		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 2183-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	जैतवारा कोठार-163	7.44	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा, (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली पुरवा मुख्य नहर की मझगवां शाखा नहर एवं उसकी सीमा में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित संपत्तियों का अर्जन.
		योग . .	7.44		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 5 सितम्बर 2013

क्र. 4174-भू-अर्जन-2013-प्रकरण क्र. 43-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	रतलाम	कनेरी	15.760	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	कनेरी जलाशय योजनान्तर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		कलमोड़ा	1.140		
		योग . .	16.900		

(2) भूमि का नक्शा व (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, रतलाम के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. 42-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	पारसेन	3.771	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर की 5-एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	3.771		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 43-अ-82-12-13-भू-अर्जन—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	हिमैयापुरा	0.830	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्चस्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्चस्तरीय नहर की शीतला माता नहर की 5-एल के निर्माण हेतु.
		योग . .	0.830		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2013

क्र. 8389-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	डालूपुरा	25.010	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डालूपुरा तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	25.010		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8391-भू-अर्जन-2013—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	दुर्गपुरा	0.584	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	दुर्गपुरा तालाब की नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
		पुरादुर्गपुरा	0.641		
		पुरा सेदरा	0.310		
		योग . .	1.535		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8392-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	रूपाहेड़ा	2.664	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	रूपाहेड़ा तालाब डूब एवं पालन के निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		आम्बाबेह	0.251		
		योग . .	3.635		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8396-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि

के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	कछोटिया	7.225	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कछोटिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं वेस्टवियर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	7.225		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8398-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	नेगड़िया	1.913	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	जगन्नाथपुरा तालाब के पाल, डूब, वेस्टवीयर तथा नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
		अमरपुरा	1.900		
		मयापुरा	0.012		
		योग . .	3.825		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8394-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	रुपाहेड़ा	3.635	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	रुपाहेड़ा तालाब के वेस्टवीयर निर्माम स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	3.635		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8416-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	पीथापुरा	14.090	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	सेमलाबेह तालाब के बांध के निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		सेमलाबे	0.836		
		बावड़ीबेह	0.643		
		योग . .	15.469		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का विवरण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

खिलचीपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र. 8433-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	किशनपुरिया	23.974	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	खोकरिया तालाब के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		खोकरिया	23.140		
		योग . .	47.114		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8435-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	ब्राम्हणखेड़ा	0.759	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	सादलपुर तालाब निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	0.759		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 8437-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	श्यामपुरा	16.061	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	श्यामपुरा तालाब के बांध निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.
		बालाहेड़ा	05.696		
		योग . .	21.757		

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

प्र. क्र. 10375-प्र. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	नवलपुर	37 नं.	1.977	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर, (म.प्र.).	टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
			योग . .	1.977		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय (ग्राम नवलपुर) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व), केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10376-प्र. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	खमरिया	135 नं.	8.455	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर, (म.प्र.).	टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
			योग . .	8.455		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय (ग्राम खमरिया) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी,(राजस्व), केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10377-प्र. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	रेहलीखेड़ा	11 नं.	0.596	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर, (म.प्र.).	टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
			योग . .	0.596		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय (ग्राम रेहलीखेड़ा) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली, जिला-सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प. क्र. 10378-प्र. भू-अर्जन-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के सामने खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधि भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			कुल खसरा नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	केसली	महुआखेड़ा	38 नं.	2.830	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली, जिला-सागर, (म.प्र.).	टिकारी जलाशय के नहर निर्माण में प्रभावित होने वाली भूमि का भू-अर्जन.
				योग . . 2.830		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यक है—टिकारी जलाशय (ग्राम महुआखेड़ा) के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), केसली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2 केसली, जिला-सागर (म.प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्र.6157-भूमि संपादन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	घट्टिया	रनाहेड़ा	2.18	भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया	शंकरपुर तालाब में डूब क्षेत्र की अतिरिक्त अशासकीय भूमि अधिग्रहण.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, घट्टिया में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. एफ 4 ई-01-2013-ए-सोलह.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अध्याय-तीन के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है जिनके भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	परिनिश्चित सीमाएं (3)
1.	सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर	राजस्व संभाग, इन्दौर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
2.	सहायक श्रम आयुक्त, उज्जैन	राजस्व संभाग, उज्जैन (मन्दसौर व नीमच जिलों को तथा उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
3.	सहायक श्रम आयुक्त, मंदसौर	राजस्व जिला मंदसौर और नीमच जहां श्रम अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की गई है.
4.	सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर	राजस्व संभाग, ग्वालियर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
5.	सहायक श्रम आयुक्त, चंबल (मुरैना)	राजस्व संभाग, चंबल (मुरैना) (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
6.	सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल	राजस्व संभाग, भोपाल (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
7.	सहायक श्रम आयुक्त, नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	राजस्व संभाग, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
8.	सहायक श्रम आयुक्त, सागर	राजस्व संभाग, सागर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
9.	सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर	राजस्व संभाग, जबलपुर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
10.	सहायक श्रम आयुक्त, सतना	राजस्व संभाग, सतना (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).

(1)	(2)	(3)
11.	सहायक श्रम आयुक्त, शहडोल	राजस्व संभाग, शहडोल (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
12.	सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली	राजस्व जिला सिंगरौली
13.	श्रम अधिकारी, धार	राजस्व जिला धार (नालछा विकासखण्ड को छोड़कर)
14.	श्रम अधिकारी, पीथमपुर	पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र (राजस्व जिला धार के विकासखण्ड नालछा को सम्मिलित करते हुए).
15.	श्रम अधिकारी, खरगोन	राजस्व जिला खरगोन
16.	श्रम अधिकारी, बड़वानी	राजस्व जिला बड़वानी
17.	श्रम अधिकारी, बुरहानपुर	राजस्व जिला बुरहानपुर
18.	श्रम अधिकारी, खण्डवा	राजस्व जिला खण्डवा
19.	श्रम अधिकारी, झाबुआ	राजस्व जिला झाबुआ
20.	श्रम अधिकारी, अलीराजपुर	राजस्व जिला अलीराजपुर
21.	श्रम अधिकारी, देवास	राजस्व जिला देवास
22.	श्रम अधिकारी, शाजापुर	राजस्व जिला शाजापुर
23.	श्रम अधिकारी, रतलाम	राजस्व जिला रतलाम
24.	श्रम अधिकारी, नीमच	राजस्व जिला नीमच
25.	श्रम अधिकारी, दतिया	राजस्व जिला दतिया
26.	श्रम अधिकारी, गुना	राजस्व जिला गुना
27.	श्रम अधिकारी, शिवपुरी	राजस्व जिला शिवपुरी
28.	श्रम अधिकारी, अशोकनगर	राजस्व जिला अशोकनगर
29.	श्रम अधिकारी, भिण्ड	राजस्व जिला भिण्ड (विकासखण्ड गोहद को छोड़कर)
30.	श्रम अधिकारी, मालनपुर	मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र (राजस्व जिला भिण्ड का गोहद विकासखण्ड)
31.	श्रम अधिकारी, श्योपुरकलां	राजस्व जिला श्योपुरकलां
32.	श्रम अधिकारी, राजगढ़	राजस्व जिला राजगढ़
33.	श्रम अधिकारी, विदिशा	राजस्व जिला विदिशा
34.	श्रम अधिकारी, मण्डीदीप	राजस्व जिला रायसेन
35.	श्रम अधिकारी, सीहोर	राजस्व जिला सीहोर
36.	श्रम अधिकारी, बैतूल	राजस्व जिला बैतूल

(1)	(2)	(3)
37.	श्रम अधिकारी, हरदा	राजस्व जिला हरदा
38.	श्रम अधिकारी, दमोह	राजस्व जिला दमोह
39.	श्रम अधिकारी, छतरपुर	राजस्व जिला छतरपुर
40.	श्रम अधिकारी, पन्ना	राजस्व जिला पन्ना
41.	श्रम अधिकारी, टीकमगढ़	राजस्व जिला टीकमगढ़
42.	श्रम अधिकारी, सिवनी	राजस्व जिला सिवनी
43.	श्रम अधिकारी, छिन्दवाड़ा	राजस्व जिला छिन्दवाड़ा
44.	श्रम अधिकारी, बालाघाट	राजस्व जिला बालाघाट
45.	श्रम अधिकारी, कटनी	राजस्व जिला कटनी
46.	श्रम अधिकारी, मण्डला	राजस्व जिला मण्डला
47.	श्रम अधिकारी, डिण्डौरी	राजस्व जिला डिण्डौरी
48.	श्रम अधिकारी, नरसिंहपुर	राजस्व जिला नरसिंहपुर
49.	श्रम अधिकारी, रीवा	राजस्व जिला रीवा
50.	श्रम अधिकारी, सीधी	राजस्व जिला सीधी
51.	श्रम अधिकारी, अनूपपुर	राजस्व जिला अनूपपुर
52.	श्रम अधिकारी, उमरिया	राजस्व जिला उमरिया

No. F 4(E)-01-2013-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, appoint the officers specified in column (2) of the Schedule given below to be the Registering Officers for the purposes of Chapter-III of the said Act and define the limits in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, within which a Registering Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Officer (2)	Defined limits (3)
1.	Assistant Labour Commissioner, Indore	Revenue Division, Indore (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
2.	Assistant Labour Commissioner, Ujjain	Revenue Division, Ujjain (except Mandsaur and Neemuch districts and districts where Labour Officers posted in the revenue division).
3.	Assistant Labour Commissioner, Mandsaur	Revenue district of Mandsaur and Neemuch Where Labour Officer is not posted.

(1)	(2)	(3)
4.	Assistant Labour Commissioner, Gwalior	Revenue Division, Gwalior (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
5.	Assistant Labour Commissioner, Chambal (Morena).	Revenue Division, Chambal (Morena) (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
6.	Assistant Labour Commissioner, Bhopal	Revenue Division, Bhopal (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
7.	Assistant Labour Commissioner, Narmadapuram, (Hoshangabad).	Revenue Division, Narmadapuram (Hoshangabad) (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
8.	Assistant Labour Commissioner, Sagar	Revenue Division, Sagar (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
9.	Assistant Labour Commissioner, Jabalpur	Revenue Division, Jabalur (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
10.	Assistant Labour Commissioner, Satna	Revenue Division, Satna (except those districts where Assistant labour Commissioner/Labour Officers posted in the revenue division).
11.	Assistant Labour Commissioner, Shahdol	Revenue division, Shahdol (except those districts where Labour Officers posted in the Revenue Division).
12.	Assistant Labour Commissioner, Singroli	Revenue District of Singroli
13.	Labour Officer, Dhar	Revenue District of Dhar (excluding Nalchha Development Block).
14.	Labour Officer, Pithampur	Pithampur Industrial Area (Nalchha Development Block of Revenue District of Dhar).
15.	Labour Officer, Khargone	Revenue District of Khargone
16.	Labour Officer, Barwani	Revenue District of Barwani
17.	Labour Officer, Burhanpur	Revenue District of Burhanpur
18.	Labour Officer, Khandwa	Revenue District of Khandwa
19.	Labour Officer, Jhabua	Revenue District of Jhabua
20.	Labour Officer, Alirajpur	Revenue District of Alirajpur
21.	Labour Officer, Dewas	Revenue District of Dewas
22.	Labour Officer, Shajapur	Revenue District of Shajapur
23.	Labour Officer, Ratlam	Revenue District of Ratlam
24.	Labour Officer, Neemuch	Revenue District of Neemuch

(1)	(2)	(3)
25.	Labour Officer, Datia	Revenue District of Daita
26.	Labour Officer, Guna	Revenue District of Guna
27.	Labour Officer, Shivpuri	Revenue District of Shivpuri
28.	Labour Officer, Ashoknagar	Revenue District of Ashoknagar
29.	Labour Officer, Bhind	Revenue District of Bhind (excluding Development Block, Gohad).
30.	Labour Officer, Malanpur	Malanpur Industrial Area (Gohad Development Block of Revenue District of Bhind).
31.	Labour Officer, Sheopurkala	Revenue District of Sheopurkala
32.	Labour Officer, Rajgarh	Revenue District of Rajgarh
33.	Labour Officer, Vidisha	Revenue District of Vidisha
34.	Labour Officer, Mandideep	Revenue District of Raisen
35.	Labour Officer, Sehore	Revenue District of Sehore
36.	Labour Officer, Betul	Revenue District of Betul
37.	Labour Officer, Harda	Revenue District of Harda
38.	Labour Officer, Damoh	Revenue District of Damoh
39.	Labour Officer, Chhatarpur	Revenue District of Chhatarpur
40.	Labour Officer, Panna	Revenue District of Panna
41.	Labour Officer, Tikamgarh	Revenue District of Tikamgarh
42.	Labour Officer, Seoni	Revenue District of Seoni
43.	Labour Officer, Chhindwara	Revenue District of Chhindwara
44.	Labour Officer, Balaghat	Revenue District of Balaghat
45.	Labour Officer, Katni	Revenue District of Katni
46.	Labour Officer, Mandla	Revenue District of Mandla
47.	Labour Officer, Dindori	Revenue District of Dindori
48.	Labour Officer, Narsinghpur	Revenue District of Narsinghpur
49.	Labour Officer, Rewa	Revenue District of Rewa
50.	Labour Officer, Sidhi	Revenue District of Sidhi
51.	Labour Officer, Anooppur	Revenue District of Anooppur
52.	Labour Officer, Umaria	Revenue District of Umaria

क्र. एफ 4 ई-01-2013-ए-सोलह.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अध्याय-चार के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त करती है तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वे सीमाएं परिनिश्चित करती है जिनके भीतर अनुज्ञापन अधिकारी उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, अर्थात् :—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	अधिकारी का नाम (2)	परिनिश्चित सीमाएं (3)
1.	सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर	राजस्व संभाग, इन्दौर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
2.	सहायक श्रम आयुक्त, उज्जैन	राजस्व संभाग, उज्जैन (मन्दसौर व नीमच जिलों को तथा उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
3.	सहायक श्रम आयुक्त, मंदसौर	राजस्व जिला मंदसौर और नीमच जहां श्रम अधिकारियों की पदस्थापना नहीं की गई है.
4.	सहायक श्रम आयुक्त, ग्वालियर	राजस्व संभाग, ग्वालियर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
5.	सहायक श्रम आयुक्त, चंबल (मुरैना)	राजस्व संभाग, चंबल (मुरैना) (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
6.	सहायक श्रम आयुक्त, भोपाल	राजस्व संभाग, भोपाल (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
7.	सहायक श्रम आयुक्त, नर्मदापुरम (होशंगाबाद)	राजस्व संभाग, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
8.	सहायक श्रम आयुक्त, सागर	राजस्व संभाग, सागर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
9.	सहायक श्रम आयुक्त, जबलपुर	राजस्व संभाग, जबलपुर (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
10.	सहायक श्रम आयुक्त, सतना	राजस्व संभाग, सतना (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में सहायक श्रम आयुक्त/ श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
11.	सहायक श्रम आयुक्त, शहडोल	राजस्व संभाग, शहडोल (उन जिलों को छोड़कर जहां राजस्व संभाग में श्रम अधिकारियों की पदस्थापना की गई है).
12.	सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली	राजस्व जिला सिंगरौली
13.	श्रम अधिकारी, धार	राजस्व जिला धार (नालछा विकासखण्ड को छोड़कर)
14.	श्रम अधिकारी, पीथमपुर	पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र (राजस्व जिला धार का नालछा विकासखण्ड)
15.	श्रम अधिकारी, खरगोन	राजस्व जिला खरगोन

(1)	(2)	(3)
16.	श्रम अधिकारी, बड़वानी	राजस्व जिला बड़वानी
17.	श्रम अधिकारी, बुरहानपुर	राजस्व जिला बुरहानपुर
18.	श्रम अधिकारी, खण्डवा	राजस्व जिला खण्डवा
19.	श्रम अधिकारी, झाबुआ	राजस्व जिला झाबुआ
20.	श्रम अधिकारी, अलीराजपुर	राजस्व जिला अलीराजपुर
21.	श्रम अधिकारी, देवास	राजस्व जिला देवास
22.	श्रम अधिकारी, शाजापुर	राजस्व जिला शाजापुर
23.	श्रम अधिकारी, रतलाम	राजस्व जिला रतलाम
24.	श्रम अधिकारी, नीमच	राजस्व जिला नीमच
25.	श्रम अधिकारी, दतिया	राजस्व जिला दतिया
26.	श्रम अधिकारी, गुना	राजस्व जिला गुना
27.	श्रम अधिकारी, शिवपुरी	राजस्व जिला शिवपुरी
28.	श्रम अधिकारी, अशोकनगर	राजस्व जिला अशोकनगर
29.	श्रम अधिकारी, भिण्ड	राजस्व जिला भिण्ड (विकासखण्ड गोहद को छोड़कर)
30.	श्रम अधिकारी, मालनपुर	मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र (राजस्व जिला भिण्ड का गोहद विकासखण्ड)
31.	श्रम अधिकारी, श्योपुरकलां	राजस्व जिला श्योपुरकलां
32.	श्रम अधिकारी, राजगढ़	राजस्व जिला राजगढ़
33.	श्रम अधिकारी, विदिशा	राजस्व जिला विदिशा
34.	श्रम अधिकारी, मण्डीदीप	राजस्व जिला रायसेन
35.	श्रम अधिकारी, सीहोर	राजस्व जिला सीहोर
36.	श्रम अधिकारी, बैतूल	राजस्व जिला बैतूल
37.	श्रम अधिकारी, हरदा	राजस्व जिला हरदा
38.	श्रम अधिकारी, दमोह	राजस्व जिला दमोह
39.	श्रम अधिकारी, छतरपुर	राजस्व जिला छतरपुर
40.	श्रम अधिकारी, पन्ना	राजस्व जिला पन्ना
41.	श्रम अधिकारी, टीकमगढ़	राजस्व जिला टीकमगढ़
42.	श्रम अधिकारी, सिवनी	राजस्व जिला सिवनी
43.	श्रम अधिकारी, छिन्दवाड़ा	राजस्व जिला छिन्दवाड़ा
44.	श्रम अधिकारी, बालाघाट	राजस्व जिला बालाघाट
45.	श्रम अधिकारी, कटनी	राजस्व जिला कटनी
46.	श्रम अधिकारी, मण्डला	राजस्व जिला मण्डला
47.	श्रम अधिकारी, डिण्डौरी	राजस्व जिला डिण्डौरी
48.	श्रम अधिकारी, नरसिंहपुर	राजस्व जिला नरसिंहपुर
49.	श्रम अधिकारी, रीवा	राजस्व जिला रीवा
50.	श्रम अधिकारी, सीधी	राजस्व जिला सीधी
51.	श्रम अधिकारी, अनूपपुर	राजस्व जिला अनूपपुर
52.	श्रम अधिकारी, उमरिया	राजस्व जिला उमरिया

No. F 4(E) 01/2013/A-XVI.— In exercise of the powers conferred by Section 11 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, appoint the officers specified in column (2) of the Schedule given below to be the Licensing Officers for the purposes of Chapter-IV of the said Act and define the limits in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, within which a Licensing Officer shall exercise the powers conferred on him by or under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S.No. (1)	Name of the Officer (2)	Defined limits (3)
1.	Assistant Labour Commissioner, Indore	Revenue Division, Indore (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
2.	Assistant Labour Commissioner, Ujjain	Revenue Division, Ujjain (except Mandsaur and Neemuch districts and districts where Labour Officers posted in the revenue division).
3.	Assistant Labour Commissioner, Mandsaur	Revenue district of Mandsaur and Neemuch Where Labour Officer is not posted.
4.	Assistant Labour Commissioner, Gwalior	Revenue Division, Gwalior (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
5.	Assistant Labour Commissioner, Chambal (Morena).	Revenue Division, Chambal (Morena) (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
6.	Assistant Labour Commissioner, Bhopal	Revenue Division, Bhopal (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
7.	Assistant Labour Commissioner, Narmadapuram, (Hoshangabad)	Revenue Division, Narmadapuram, (Hoshangabad) (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
8.	Assistant Labour Commissioner, Sagar	Revenue Division, Sagar (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division)
9.	Assistant Labour Commissioner, Jabalpur	Revenue Division, Jabalur (except those districts where Labour Officers posted in the revenue division).
10.	Assistant Labour Commissioner, Satna	Revenue Division, Satna (except those districts where Assistant labour Commissioner/Labour Officers posted in the revenue division).
11.	Assistant Labour Commissioner, Shahdol	Revenue division, Shahdol (except those districts where Labour Officers posted in the Revenue Division).
12.	Assistant Labour Commissioner, Singroli	Revenue District of Singroli
13.	Labour Officer, Dhar	Revenue District of Dhar (excluding Nalchha Development Block).
14.	Labour Officer, Pithampur	Pithampur Industrial Area (Nalchha Development Block of Revenue District of Dhar).
15.	Labour Officer, Khargone	Revenue District of Khargone
16.	Labour Officer, Barwani	Revenue District of Barwani
17.	Labour Officer, Burhanpur	Revenue District of Burhanpur
18.	Labour Officer, Khandwa	Revenue District of Khandwa
19.	Labour Officer, Jhabua	Revenue District of Jhabua

(1)	(2)	(3)
20.	Labour Officer, Alirajpur	Revenue District of Alirajpur
21.	Labour Officer, Dewas	Revenue District of Dewas
22.	Labour Officer, Shajapur	Revenue District of Shajapur
23.	Labour Officer, Ratlam	Revenue District of Ratlam
24.	Labour Officer, Neemuch	Revenue District of Neemuch
25.	Labour Officer, Datia	Revenue District of Daita
26.	Labour Officer, Guna	Revenue District of Guna
27.	Labour Officer, Shivpuri	Revenue District of Shivpuri
28.	Labour Officer, Ashoknagar	Revenue District of Ashoknagar
29.	Labour Officer, Bhind	Revenue District of Bhind (excluding Development Block, Gohad).
30.	Labour Officer, Malanpur	Malanpur Industrial Area (Gohad Development Block of Revenue District of Bhind).
31.	Labour Officer, Sheopurkala	Revenue District of Sheopurkala
32.	Labour Officer, Rajgarh	Revenue District of Rajgarh
33.	Labour Officer, Vidisha	Revenue District of Vidisha
34.	Labour Officer, Mandideep	Revenue District of Raisen
35.	Labour Officer, Sehore	Revenue District of Sehore
36.	Labour Officer, Betul	Revenue District of Betul
37.	Labour Officer, Harda	Revenue District of Harda
38.	Labour Officer, Damoh	Revenue District of Damoh
39.	Labour Officer, Chhatarpur	Revenue District of Chhatarpur
40.	Labour Officer, Panna	Revenue District of Panna
41.	Labour Officer, Tikamgarh	Revenue District of Tikamgarh
42.	Labour Officer, Seoni	Revenue District of Seoni
43.	Labour Officer, Chhindwara	Revenue District of Chhindwara
44.	Labour Officer, Balaghat	Revenue District of Balaghat
45.	Labour Officer, Katni	Revenue District of Katni
46.	Labour Officer, Mandla	Revenue District of Mandla
47.	Labour Officer, Dindori	Revenue District of Dindori
48.	Labour Officer, Narsinghpur	Revenue District of Narsinghpur
49.	Labour Officer, Rewa	Revenue District of Rewa
50.	Labour Officer, Sidhi	Revenue District of Sidhi
51.	Labour Officer, Anooppur	Revenue District of Anooppur
52.	Labour Officer, Umaria	Revenue District of Umaria

क्र. एफ 4 ई-01-2013-ए-सोलह.—ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा

धारा 7, 8, 12 या 14 के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील की सुनवाई करने के लिए, अपीली अधिकारी नियुक्त करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन अधिकारी का पदनाम	अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1.	श्रम अधिकारी	श्रमायुक्त द्वारा प्राधिकृत उप श्रमायुक्त या सहायक श्रमायुक्त
2.	सहायक श्रमायुक्त	श्रमायुक्त या श्रमायुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर श्रमायुक्त/ उप श्रमायुक्त

No. F 4(E) 01/2013/A-XVI.— In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, appoint the officers specified in column (3) to be the Appellate Offices to hear an appeal preferred against an order made under Section 7, 8, 12 or 14 issued by an Officer specified in column (2) of the Schedule given below, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Designation of the Registering and Licensing Officer	Designation of the Appellate Authority
(1)	(2)	(3)
1.	Labour Officer	Deputy Labour Commissioner or Assistant Labour Commissioner authorized by the Labour Commissioner.
2.	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner or Additional Labour Commissioner / Deputy Labour Commissioner authorized by Labour Commissioner.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. बी. प्रजापति, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

श्रम विभाग

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल दिनांक 26 सितम्बर 2013

क्र. 1058.—मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना 2004 की कंडिका 2.6 सहपठित तथा संशोधित कंडिका 5.6 के प्रावधानानुसार मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अनुसूची-एक में प्राधिकृत अस्पतालों की अनुसूची में निम्नांकित अस्पताल/नर्सिंग होम्स को एतद्द्वारा "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की दिनांक से आगामी आदेश तक जोड़ा जाता है.

"अनुसूची—एक"
(देखें योजना की कंडिका 2.6 एवं 5.6)
प्राधिकृत अस्पताल की अनुसूची
अशासकीय अस्पताल

(1) एम.जी.एम. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, कटनी (मध्यप्रदेश)

अजय कुमार नेमा, सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2013

क्र. डी-3914-पेंशन-चार-9-60-13.—श्रीमती हर्षा एच. खेडकर अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42(1)(ए) के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 26 अगस्त 2013 को प्रस्तुत आवेदन पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा श्रीमती हर्षा एच. खेडकर अनुभाग अधिकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्ति पेंशन पर दिनांक 3 अक्टूबर 2013 अपरान्ह से सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
शंभू दयाल दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता)

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. सी-6707-दो-2-26-2011.—श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 3rd September, 2013

No. 1015-Confdl.-2013-II-3-1-2013.—Judicial Officers' Training & Research Institute, High Court of M. P., Jabalpur is conducting Refresher Course for Civil Judges, Class II from 2010 Batch from 24-9-2013 to 28-9-2013 in the Institute. Civil Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaie course.

Conditions for the course:

1. Barring exceptional circumstances, the participants nominated for the course shall not pray for adjustment.
2. The participants shall report by 9.30 a.m. on 24-9-2013 in the Lacture Room of JOTRI at Jabalpur.
3. They shall appear for the course in prescribed uniform (i.e. Block coat, white shirt, grey trousers and black tie in the case of men and white saree and blouse with black coat in the case of ladies) during entire duration of the course.
4. The participants shall send one copy each of the following to the Institute sufficiently in advance, i.e. in the first week of September and shall also bring the duplicate copy of the same with them while attending the Refresher Course :—
   (i) Judgments in Civil and Criminal cases (contested);
   (ii) Issues;
   (iii) Charge;
   (iv) Questionnaire of examination of accused.
5. The participants may send legal problems/ subjects which they want to be addressed during the course to the Instituted by fax (No. 0761-262879) sufficiently in advance.
6. The participants shall bring with them Laptop Computers with peripherals and software Cds, if provided by the High Court.
7. T.A. & D.A. of the participants is reimbursable only as per Government Rules.
8. The Institute shall endeavor to make best possible arrangements for reception,

lodging, boarding and entertainment of the participants in the Guest House of the Institute. To this end, two Reception Counters for participants shall be set up between 5.00 a. m. and 10.00 a. m. on first day of the course at Main Railway Station, Jabalpur. One such Counter shall be set up near main exit gate of Platform No. 1 and the other near main exit gate of Platform No. 4. Participants are requested to report to these counters on their arrival. The Institute shall make arrangement for their conveyance from the Railway Station to Institute. The participants arriving a day earlier or at hours other than those mentioned above or by a different mode of conveyance, may inform the Institute to Shri Gyan Prakash Tekam. A.G. III on Telephone No. 0761-2628679 or to Shri Pramod Kushwaha, Care Taker on Mobile No. 09713717147 or to Shri Pramod Kumar Chaturvedi, A. G. II on Mobile No. 08878747939 at least a day in advance, so that proper arrangement for their reception may be made. It may however be noted that it may not be possible for the Institute to make arrangement for carriage of participants' luggage to the parked vehicles.

9. The Guest House of the Institute is located on second and third floors of the JOTRI building. At present the lift is not functional. The participants are, with prior intimation to the Institute, free to stay at the accommodation of their choice. In such a case the participants shall be entitled to T.A. & D.A. as per rueles. However, it would not be possible for the Institute to make arrangement for pick up from and drop back to such place.

10. The accommodation in the Guest House of the Institute shall be available to the participants only from 3.00 p.m. onwards on the preceding day of commencement of training and upto 10.00 a. m. on the succeeding day of the end of training.

11. The participants shall be provided with tea, breakfast, lunch and dinner during their period of stay for the course, free of charge.

By order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
VED PRAKASH, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2013

क्र. C-6655-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 20 से 29 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके, दस दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमामित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता, सोनकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-6657-दो-2-16-2013.—श्री आर. पी. शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 8 से 12 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 एवं 14 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. पी. शरण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. पी. शरण, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6659-दो-2-40-2009.—श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, होशंगाबाद को दिनांक 27 फरवरी 2013 के एक दिन के पूर्व स्वीकृत कम्युटेड अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 22 से दिनांक 26 फरवरी 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का कम्युटेड अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कुमुदबाला बरणा, प्रधान न्यायाधीश कुटंब न्यायालय, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कुमुदबाला बरणा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-6661-दो-2-23-2009.—डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 18 जुलाई 2013 से दिनांक 20 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 03 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 जुलाई 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. अनिल पारे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अनिल पारे उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6663-दो-2-53-2009.—श्री एम. पी. एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 29 जुलाई 2013 से दिनांक 30 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 02 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एम.पी.एस. अरोरा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. पी. एस. अरोरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीस के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. D-4034-दो-2-4-2013.—श्री आर. के. जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 19 अगस्त 1013 से दिनांक 24 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 06 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6709-दो-2-35-2000.—श्री ओमप्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 6 अगस्त 2013 से दिनांक 8 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 9, 10 एवं 11 अगस्त 2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6711-दो-2-22-13.—श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 22 जुलाई 2013 से दिनांक 24 जुलाई 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 03 दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एस. तोमर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एस. तोमर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. C-6723-दो-2-25-2013.—श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को दिनांक 26-08-2013 से दिनांक 30-08-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 05 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृति किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25-08-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डलेश्वर को मण्डलेश्वर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. C-6707-दो-2-26-2011.—श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 अगस्त 2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दरं से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वेद प्रकाश उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार जनरल के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. 923-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लेखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लेखित न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
1.	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना की हैसियत से.

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 1013-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, इंदौर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (क्रमांक सन्, 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर) को इंदौर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (सीनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, इंदौर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 4th Sepetember 2013

No. D-3984-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri P.C. Sharma, Presiding Officer of the court of Special Judge, SC/ST (POA) Act at Balaghat for the speedytrial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating therto.

No. D-3985-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Shashikanta Vaishy, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Chhatarpur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3986-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Sanjeev Kumar Pandey, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Damoh for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3987-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Smt. Renuka Kanchan, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Dawas for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3988-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri V. S. Rajput, Presiding Officer of the court of ASJ, Dindori for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3989-III-6-6-84.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri G. P. Agrawal, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Guna for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3990-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Suresh Singh, Presiding Officer of the court of IInd ASJ, Hoshangabad for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3991-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri A. K. Shrivastava (Jr.), Presiding Officer of the court of Special Judge, SC/ST(POA) Act at Jhabua for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3992-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Rajeev Karmahe, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Mandla for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3993-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri A. K. Verma, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Morena for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3994-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. K. S. Gautam, Presiding Officer of the court of Sessions Judge, Narsinghpur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3995-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri R. P. Mishra, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Sehore for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3996-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Pramod Kumar, Presiding Officer of the court of Ist ASJ, Shahdol for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3997-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri P. K. Godha, Presiding Officer of the court of Special Judge, SC/ST (POA) Act at Shajapur for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

No. D-3998-III-6-6-84-II.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 9 of Cr. P.C. 1973 & all other enabling provisions High Court of Madhya Pradesh is pleased to designate Shri Prabhakant Shukla, Presiding Officer of the court of Special Judge, SC/ST (POA) Act at Shivpuri for the speedy trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with rape & all other offences relating thereto.

By order of the High Court,
VIPIN BIHARI SHUKLA, Registrar (DE).

जबलपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2013

क्र. C-6713-दो-2-53-2011.—श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 10-9-2013 से दिनांक 13-09-2013 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 04 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 एवं 09-09-2013 के एवं पश्चात में दिनांक 14 एवं 15-09-2013 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. बी. खेडकर, लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. बी. खेडकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो लेखा अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त 1013

क्र. 917-गोपनीय-2013-दो-3-1-2013 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती वर्षा शर्मा	भोपाल	भोपाल	भोपाल	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन, लिमिटेड (M.P.S.I.D.C.) भोपाल द्वारा आई.सी.डी. संव्यवहार से संबंधित आपराधिक प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु गठित विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.

जबलपुर, दिनांक 19 अगस्त 1013

क्र. 927-गोपनीय-2013-दो-2-1-2013 (भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस एक्ट 1958 (19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) तथा धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3(ए)1-2013-इक्कीस-ब-(एक), दिनांक 16-07-2013 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करने के लिये अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित है, स्तम्भ

(2) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ	न्यायालय में बैठने का स्थान
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुधीर सिंह चौहान, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सिंगरौली मुख्यालय, बैढ़न.	सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.	सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.	सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.	सिंगरौली मुख्यालय बैढ़न.
2	श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, रीवा.	रीवा	रीवा	रीवा	पदोन्नति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा के न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश के हैसियत से.	रीवा
3	कुमारी नीता गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देवास.	देवास	देवास	देवास	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	देवास
4	श्री संजय कुमार पाण्डेय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पदोन्नति पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	भोपाल
5	श्री महेश कुमार सैनी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, इंदौर.	इंदौर	इंदौर	इंदौर	पदोन्नति पर दसवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	इंदौर

क्र. 929-गोपनीय-2013-दो-3-250-57 (भाग-32).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 सहपठित सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 11 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निम्न सारणी में दर्शित अभ्यर्थियों को जिन्हें मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक फा. 3 (बी) 1-2012-इक्कीस-ब (एक) (मेरिट क्रमांक), दिनांक 19 मार्च, 2013 द्वारा अस्थायी तौर से (दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये स्थान पर एवं स्तम्भ क्रमांक (4) में अंकित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2 के न्यायालय के अतिरिक्त

न्यायाधीश तथा न्यायिक दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है :—

सारणी

क्रमांक	नाम	प्रशिक्षण हेतु पदस्थापना का स्थान	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मोहम्मद नेयमत हुसैन रजवी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, शिवपुरी के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश (ट्रेनी जज).

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2013

क्र. 1019-गोपनीय-2013-दो-2-10-62.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला न्यायाधीशों (प्रवेश स्तर) उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये गये दिनांक से तथा स्तम्भ क्रमांक (4) में उल्लेखित रिक्त पदों पर चयन ग्रेड (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	नाम	चयन ग्रेड वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक	रिक्त पद के संबंध में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अखिलेश चन्द्र शुक्ला	01-02-2012	श्री जे. एस. क्षत्रिय, चयन ग्रेड धारक के दिनांक 31-01-2012 को सेवानिवृत्त होने से हुए रिक्त पद पर.
2	श्री कीर्ति कुमार वर्मा	06-03-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.
3	श्री कृष्ण गोपाल सुरेका	06-03-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.
4	श्री रमेश चन्द्र मालवीय (सेवानिवृत्त दिनांक 31-07-2013)	06-03-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.
5	श्री सावन सिंह डावर	06-03-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.
6	श्री रामेश्वर गंगाराम कोठे	06-03-2012	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) संवर्ग में नवसृजित पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 29 अगस्त 2013

क्र. 996-गोपनीय-2013-II-2-88-2006.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश श्रम न्यायिक सेवा भर्ती नियम, 2006 के उप नियम 5(II) के तहत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश निम्नलिखित पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय को, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल, के आदेश क्रमांक एफ 1 (ए)-5-2013-ए-16, भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2013 द्वारा सदस्य न्यायाधीश (प्रवेश स्तर), औद्योगिक न्यायालय के पद पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किये जाने के फलस्वरूप, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में दर्शित पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री पी. के. त्रिवेदी, पीठासीन अधिकारी श्रम न्यायालय, भोपाल	भोपाल	इंदौर	इंदौर	पदोन्नति पर, सदस्य न्यायाधीश, औद्योगिक न्यायालय, इंदौर की हैसियत से श्री जे. एस. सेंगर, सदस्य न्यायाधीश के दिनांक 31-08-2013 को सेवानिवृत्त होने से रिक्त होने वाले पद पर.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
शम्भू दयाल दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (निरीक्षण एवं सतर्कता).

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2013

क्र. 8575-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	रूपाहेड़ा	2.025	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	रूपाहेड़ा तालाब योजना के नहर निर्माण स्वरूप प्रभावित भूमि का अर्जन.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 27 सितम्बर 2013

क्र. 10810-प्र.भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में इसमें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिभूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल		प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
			खसरा नं.	रकबा (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सागर	सागर	हीरापुर	8	0.790	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म. प्र.).	स्पिल चैनल की अतिरिक्त लंबाई एवं खमकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि.
		खमकुआ	21	3.490		
			योग . .	4.280		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है.— (अ) सूखा नाला जलाशय योजना के अन्तर्गत स्पिल चैनल की अतिरिक्त लम्बाई एवं खमकुआ माइनर नहर निर्माण हेतु अर्जित की जाने वाली निजी भूमि के भू-अर्जन बावत्.

(ब) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1 के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.